

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025

गौरीगंज, जिला सवाई माधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौध-का-बस्वाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत-

प्रकरण संख्या:-

दिनांक:-

उनवान

श्री केशवली पुत्री गौरीगंज  
जाति गौरीगंज

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौध-का-बस्वाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
(बस्वाड़ा)

2025  
380

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का गौरीगंज भू. अ. नि. केशवली एवं तहसीलदार चौध-का-बस्वाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम गौरीगंज पो. ह. केशवली की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 112, 214, 215 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>केशवली पुत्री गौरीगंज</u> <u>ब. गौरीगंज</u> <u>बस्वाड़ा का नाम</u> <u>केशवली के बजाय केशवली</u>	<u>केशवली पुत्री गौरीगंज</u>	<u>केशवली पुत्री गौरीगंज</u>

क.ग. 25  
शुद्ध प्रविष्टि जाते के करेश  
दिने जाते हैं

Signature  
उपखण्ड अधिकारी  
चौध-का-बस्वाड़ा  
2025/10/25

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौध-का-बस्वाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री केशवली पुत्री गौरीगंज जाति गौरीगंज

Signature  
उपखण्ड अधिकारी  
चौध-का-बस्वाड़ा  
2025/10/25

क.ग. - 6289  
7/10/25

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)